

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-2431 / 2012 / भीलवाडा

मै0 प्रहलाद राय कंस्ट्रक्शन,  
भीलवाडा।

...अपीलार्थी

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वर्क्स एंड लीजिंग टैक्स, भीलवाडा
2. उपायुक्त (अपील्स),  
भीलवाडा

...प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.पी.शर्मा

अभिभाषक

श्री आर.के.अजमेरा

उप राजकीय अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से

...प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 22.12.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 109/वेट/11-12 में पारित आदेश दिनांक 11.09.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एंड लीजिंग टैक्स, भीलवाडा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2009-10 हेतु पारित आदेश दिनांक 12.09.2011 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम 2003" कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत कायम की गई मांग राशि रु. 8,031/- को विवादित करने पर अपील आंशिक अस्वीकार व आंशिक प्रतिप्रेषित की हैं जिससे व्यथित होकर व्यवसायी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वर्क्स कोन्ट्रेक्टर है। अपीलार्थी का कर निर्धारण वर्ष 2009-10 हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाडा द्वारा आदेश दिनांक 12.09.2011 द्वारा पारित किया गया। व्यवसायी द्वारा इस आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष वेट चुकाकर की गई खरीद में व्यवसायी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना वृद्धि कर करारोपण करने एवं अधिनियम की धारा 3(2) की खरीद पर वेट आरोपित करने के संबंध में अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.09.2012 द्वारा घोषित बिक्री में वृद्धि करने से पूर्व विस्तृत एवं विशिष्ट नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है तथा अधिनियम की धारा 3(2) की खरीद पर वेट आरोपित करने के बिन्दु पर अपील अस्वीकार की है।

2m

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उनके कर सलाहकार ने लिखित बहस प्रस्तुत की। लिखित बहस में कथन किया गया कि विवादित मामला कर निर्धारण वर्ष 2009-10 का है जिसका वर्ष सुनवाई का विशिष्ट नोटिस अब नहीं दिया जा सकता क्योंकि कर निर्धारण की समय सीमा 31.03.2012 को समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। साथ ही इन्होंने कथन किया कि अधिनियम की धारा 3(2) की खरीद पर वेट आरोपित करना विधिसम्मत नहीं है क्योंकि इससे दोहरा करारोपण हो जाता है। प्रार्थी ने माल का उपयोग किया है न की विक्रय किया है। इन्होंने अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।
5. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः निगरानी खारिज की जावें।
6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार हैं :-
7. अपील में प्रथम मुख्य आधार यह है कि विवादित मामला कर निर्धारण वर्ष 2009-10 का है जिसका वर्ष सुनवाई का विशिष्ट नोटिस अब नहीं दिया जा सकता क्योंकि कर निर्धारण की समय सीमा 31.03.2012 को समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार समय सीमा 31.03.2012 तक थी तथा कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश इससे पूर्व दिनांक 12.09.2011 को पारित कर दिया है तो इसके पश्चात् प्रकरण विभिन्न स्तरों पर न्यायिक कार्यवाही के दौरान विचाराधीन रहा है तो वह अवधि सीमा की गणना हेतु नहीं मानी जायेगी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण रिमाण्ड किया है तो इस आधार पर कार्यवाही समाप्त नहीं की जा सकती कि प्रकरण में समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में व्यवसायी को विशिष्ट नोटिस देकर सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है जो न्यायोचित एवं विधिसम्मत हैं।
8. अपील में द्वितीय आधार यह है कि अधिनियम की धारा 3(2) की खरीद पर वेट आरोपित करना विधिसम्मत नहीं है क्योंकि इससे दोहरा करारोपण हो जाता है। प्रार्थी ने माल का उपयोग किया है न की विक्रय किया है।

प्रकरण में विक्रेता व्यवसायी ने स्वेच्छा से कम्पोजीशन योजना का लाभ लिया है। अतः यदि ऐसे कम्पोजीशन व्यवसायी से कोई संविदाकर्ता माल खरीदता है और उसे आगे वर्क्स कान्ट्रैक्ट में लगाकर भुगतान करता है तो इस माल पर कर लगेगा क्योंकि यह कार्य डीम्ड सेल के समान होने से उस पर कर का दायित्व बनता है तथा ऐसे माल को खरीद के समय नहीं चुकाये गये कर को बाद में चुकाने का दायित्व बनता है, साथ ही यह संविदाकर्ता द्वारा की गई यह खरीद धारा 18 की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। अतः इस पर आई.टी.सी. भी देय नहीं होगा।

211

वेट अधिनियम के नियम 11 के उपनियम 2 के प्रावधानुसार इस प्रकार है :-

"The last point in the series of sales shall be the sale in such series by a registered dealer to a consumer or to an unregistered dealer or to a registered dealer of purposes other than resale within the state or to a registered dealer who has opted for payment of tax under subsection (2) of section 3 or section 5 of the Act."

इस उपनियम में सेल्स की अंतिम बिन्दु की बिक्री को परिभाषित किया है। 3(2) व 5(1) के व्यवहारी को की गई बिक्री को अंतिम बिन्दु माना है। अपीलार्थी द्वारा 3(2) व 5(1) व्यवहारी से खरीद वर्क्स कान्ट्रेक्ट में काम में लिया है जो डीमड बिक्री की श्रेणी में आता है। वेट अधिनियम की धारा 18(1) के अनुसार,

"Input tax credit shall be allowed to registered dealer, other than the dealers covered by sub section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed".

इस विधिक प्रावधान से यह स्पष्ट है कि धारा 3(2) व 5 के व्यवसायियों को इनपुट टैक्स देय नहीं है। इस निष्कर्ष के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 3(2) की खरीद पर किये गये करारोपण को यथावत रखना विधिसम्मत है।

9. इस प्रकार खरीद में वृद्धि के संबंध में सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है तथा धारा 3(2) की खरीद पर किया गया करारोपण विधिसम्मत होने के कारण अपीलीय अधिकारी के निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

( नत्थूराम )  
सदस्य